

दफ्तरी संख्या 3939-40 एसआईडीसी/IA/Policy Val-17 दिनांक 19-3-18

—: कार्यालय आदेश —:

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.01.18 को सम्पन्न हुयी 298वीं बैठक में निगम द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव एवं सरस्वती हाई-टेक सिटी, इलाहाबाद के आवासीय भूखण्डों के आवंटियों से सर्विस चार्ज (रख-रखाव शुल्क) को क्षेत्र के विकसित होने की तिथि से लिये जाने के सम्बन्ध में आवासीय क्षेत्र के आवंटियों के विरोध को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/परियोजनाओं में आवंटित औद्योगिक भूखण्डों के समान ही आवासीय भूखण्डों में भी क्षेत्र के आवंटियों से देय सर्विस चार्ज (रख-रखाव शुल्क) की देयता हेतु आवंटन की प्रभावी तिथि औद्योगिक क्षेत्र/परियोजना के न्यूनतम विकास कार्यों के पूर्ण हो जाने अथवा क्षेत्र के विकसित हो जाने की घोषणा की तिथि को माना जायेगा। इस प्रकार आवासीय भूखण्डों के आवंटियों को क्षेत्र के विकसित घोषित होने, जिसमें भूखण्ड तक पहुँच मार्ग तथा न्यूनतम विद्युत व्यवस्था सम्मिलित है, की प्रभावी तिथि से ही देय सर्विस चार्ज (रख-रखाव शुल्क) की देयता निर्धारित की जायेगी।


एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या /एसआईडीसी-आईए- दि०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/ क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्ष०), मुख्यालय, कानपुर।


Ashish
22/03/18

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक